

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 360/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 14.09.2026

थाना-अतरौलिया, जनपद-आजमगढ़

- ☐ थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा विभिन्न अभियोगों में वांछित कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- ☐ दहेज हत्या के 02 मामलों में पति व ससुर समेत 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
- ☐ दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की चेन एवं ₹05 लाख की अतिरिक्त मांग से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई
- ☐ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- ☐ छेड़खानी, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी।

दिनांक 02.03.2026 को वादिनी श्रीमती रंजना प्रजापति द्वारा अपनी ननद अंजली प्रजापति को दहेज में मोटरसाइकिल एवं सोने की चेन की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा ससुरालीजनों द्वारा उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 80/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

इसी प्रकार दिनांक 07.02.2026 को वादी श्री संतोष सिंह द्वारा अपनी पुत्री अंकिता सिंह से दहेज में ₹05 लाख की मांग करने, प्रताड़ित करने तथा उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 50/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

दिनांक 19.07.2026 को वादिनी श्रीमती मंता द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त रजत द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 285/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

इसके अतिरिक्त दिनांक 09.08.2026 को वादिनी द्वारा उसके साथ छेड़खानी, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने तथा उसकी माता के साथ मारपीट करने के प्रयास के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 312/2026 धारा 74, 131, 115(2), 351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान धारा 118(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 14.09.2026 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 80/2026 में वांछित अभियुक्त राजधारी उर्फ दिलीप पुत्र हरिलाल, उम्र 32 वर्ष को गजेन्धरपट्टी भेदौरा स्थित उसके घर के सामने से समय 09.35 बजे गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 50/2026 में वांछित अभियुक्तगण आनन्द प्रकाश सिंह पुत्र दान बहादुर सिंह, उम्र करीब 28 वर्ष एवं दान बहादुर सिंह पुत्र स्व0 रामउदय सिंह, उम्र करीब 53 वर्ष को ग्राम लोहरा स्थित उनके घर से समय 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 285/2026 में वांछित अभियुक्त रजत पुत्र सूर्यकांत उर्फ सूरज, उम्र 22 वर्ष को रानीपुर तिराहे से समय 09.25 बजे गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 13.09.2026 को उ0नि0 अखिलेश सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 312/2026 में वांछित अभियुक्त शैलेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 रमाशंकर सिंह, उम्र 38 वर्ष को उसके अस्थायी निवास प्रताप नगर कॉलोनी, हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ से समय 20.55 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

इस प्रकार थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा उक्त चार अभियोगों में वांछित कुल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

निम्नलिखित अभियुक्तों का विवरण-

1. राजधारी उर्फ दिलीप पुत्र हरिलाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी गजेन्धरपट्टी भेदौरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2. आनन्द प्रकाश सिंह पुत्र दान बहादुर सिंह, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम लोहरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
3. दान बहादुर सिंह पुत्र स्व० रामउदय सिंह, उम्र करीब 53 वर्ष, निवासी ग्राम लोहरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
4. रजत पुत्र सूर्यकांत उर्फ सूरज, उम्र 22 वर्ष, निवासी भीलमपुर छपरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
5. शैलेश कुमार सिंह पुत्र स्व० रमाशंकर सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी सिहोरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 80/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 50/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 285/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं० 312/2026 धारा 74, 131, 115(2), 351(3), 118(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० सुरेन्द्र कुमार, का० विवेक यादव, का० राजेश कुमार मौर्या।

उ०नि० विश्राम गुप्ता, का० चन्द्रभूषण उपाध्याय, का० सरवन कुमार, का० अमित तिवारी।

उ०नि० विश्वजीत पाण्डेय, का० अजीत कुमार, का० सूरज शर्मा।

उ०नि० अखिलेश सिंह, उ०नि० विश्वजीत पाण्डेय, का० महेन्द्र कुमार, म०का० महेन्द्र कुमार, थाना अतरौलिया आजमगढ़।

थाना-गम्भीरपुर, जनपद-आजमगढ़

□ गैंगस्टर एक्ट में वांछित ₹25,000/- की इनामिया अन्तर्जनपदीय शांति अपराधी गिरफ्तार

□ पूजा-पाठ के बहाने घर में प्रवेश कर आभूषणों की ठगी करने वाले गिरोह की सदस्य को थाना गम्भीरपुर

पुलिस ने किया गिरफ्तार

□ अभियुक्ता के विरुद्ध आजमगढ़ एवं जौनपुर जनपद में ठगी/चोरी से सम्बन्धित कुल 05 अभियोग पंजीकृत

घटना का विवरण-

दिनांक 28.08.2025 को थाना गम्भीरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरायपलटू की वादिनी के घर में पूजा-पाठ करने के बहाने तीन अज्ञात महिलाओं द्वारा प्रवेश कर आभूषण आदि लेकर ठगी करने की घटना कारित की गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 12.09.2025 को थाना गम्भीरपुर पर मु०अ०सं०-272/2025 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्ताओं की पहचान होने पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

विवेचना में प्रकाश में आया कि अभियुक्ता ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत, जनपद जौनपुर निवासी है तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के उद्देश्य से अपराध कारित करती थी।

अभियुक्ताओं के विरुद्ध गैंगचार्ट अनुमोदित होने के उपरान्त थाना गम्भीरपुर पर मु०अ०सं०-45/2026 धारा 2(b)(1)/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

अभियुक्ता उक्त गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रही थी। अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा दिनांक 07.09.2026 को ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था। दिनांक 14.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम द्वारा समय करीब 12:10 बजे आजमगढ़-

मोहम्मदपुर दयालपुर मोड़ से अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्ता को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्ता का विवरण-

अभियुक्ता – ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-45/2026 धारा 2(b)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-272/2025 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-04/2025 धारा 316(2) बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-211/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0-42/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर।

इनाम की घोषणा-

अभियुक्ता पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा दिनांक 07.09.2026 को ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार त्रिपाठी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सन्नी पाण्डेय, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 अनामिका मिश्रा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
4. का0 दुर्गेश राय, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 स्वाती जायसवाल, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना-सरायमीर, जनपद-आजमगढ़

□ भूमि विवाद एवं सड़क दुर्घटना के बाद आपस में विवाद कर रहे दोनों पक्षों के कुल 12 व्यक्तियों पर हुई निरोधात्मक कार्रवाई

□ विवाद बढ़ने एवं शान्ति भंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को किया निरुद्ध

गिरफ्तारी/निरोधात्मक कार्रवाई का विवरण-

1. भूमि विवाद के प्रकरण में 02 व्यक्ति निरुद्ध-

दिनांक 13.09.2026 को उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह ग्राम शेरवां पहुंचे। मौके पर प्रथम पक्ष के प्रमोद सोनकर पुत्र हिन्नु, निवासी ग्राम शेरवां, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष तथा द्वितीय पक्ष के दीपक सोनकर पुत्र गुलाबचन्द सोनकर, निवासी ग्राम शेरवां, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष के मध्य भूमि विवाद को लेकर आपस में विवाद हो रहा था।

पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को काफी समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों पक्ष शांत होने के बजाय उग्र होकर आपस में फौजदारी पर आमादा हो गये। शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत दोनों पक्षों के उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 BNSS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस अभिरक्षा में थाना लाया गया।

2. सड़क दुर्घटना के बाद विवाद के प्रकरण में 10 व्यक्ति निरुद्ध-

दिनांक 14.09.2026 को उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह क्षेत्र में मामूर थे। इसी दौरान थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि ठाकुर द्वारा के पास सड़क दुर्घटना हो गयी है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो प्रथम पक्ष के राहुल अग्रहरी, सिद्धार्थ गुप्ता उर्फ बन्टी गुप्ता, अंकित गुप्ता, विशाल कुमार एवं लकी प्रजापति तथा द्वितीय पक्ष के शाह आलम, अमीर आलम, जमीर, फकरे आलम एवं काशिक के मध्य वाहन टकराने की बात को लेकर आरोप-प्रत्यारोप करते हुए आपस में कहासुनी एवं विवाद किया जा रहा था।

पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों पक्ष शांत होने के बजाय एक-दूसरे से फौजदारी करने पर आमादा हो गये। शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत दोनों पक्षों के कुल 10 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 BNSS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी।

समग्र कार्रवाई-

उपरोक्त दोनों घटनाओं में कुल 12 व्यक्तियों के विरुद्ध शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत धारा 170/126/135 BNSS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी।

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजनाथ यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 पंकज यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
3. हे0का0 अंकुल सिंह यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
4. हे0का0 राकेश तिवारी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
5. का0 मनीष यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

